सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या :– **98/2017 (13 / 2015)** दायर तारीख **27.11.2017**

राजस्थान सरकार जरिए **तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर**

—— वादी

बनाम

1. **रामस्वरूप पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासीी ढाणी आयावाली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।**

—— प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 03-04-2018

1. हस्तगत प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 13.10.2017 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2016 को निरस्त कर अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसका इस आदेश द्वारा निर्णय किया जा रहा है।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद पेश किया गया कि पटवार हलका विराटनगर के खसरा नम्बर 2613/0.30, 2614/0.19, 2615/0.04, 2616/0.47 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर मौके पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर रास्ता बनाकर आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।
3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 86 संवत् 2069–2072, फर्द मौका दिनांक 11.01.2015, नजरी नक्शा एवं मौका फोटो आदि पेश किये।
4. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
5. प्रतिवादी का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा संवत् 2069 पडत रही तथा संवत् 2071 में चना गवार की फसल हुई है तथा संवत् 2072 में पडत है। इस

web copy - not official

प्रकार किसी प्रकार से भी मिट्टी डालकर प्लाटिंग नहीं की गई है, मात्र अप्रार्थी द्वारा भूमि सुधार कार्य किया गया है। भूमि नगरपालिका क्षेत्र में आती है तथा अप्रार्थी ने 90 ए का आवेदन दिनांक 23.12.2016 को पेश कर रखा है तथा दिनांक 26.12.2016 रसीद संख्या 89 द्वारा राशि 96000/–रूपये जमा करवा रखे है, तहसीलदार विराटनगर द्वारा तथ्य एवं मौका स्थिति विपरीत मौका रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी को बिना सुने गलत कार्यवाही की है। अतः प्रस्तुत वादपत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबन्दी खाता संख्या 86 संवत् 2069–2072 2613/0.30, 2614/4734/0.19, 2615/0.04, 2616/0.47 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। पैरोकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर खेती नहीं की जा रही है तथा कॉलोनी काटने की मंशा से मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है। तहसीलदार विराटनगर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके मुताबिक मौके पर खसरा नम्बर 2614/4734 में 30x50 फुट के तीन भू–खण्डों पर लगभग 3–4 फुट ऊंची दीवार एवं 28x50 वर्गफुट में 3 फुट ऊंची दीवार बनी हुई तथा शेष खसरा नम्बर का रकबा पडत पडा हुआ है। खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार आराजी मुतनाजा संवत् 2069 पडत रही तथा संवत् 2071 में चना गवार की फसल हुई है तथा संवत् 2072 में पडत है। यह भी कि आराजी मुतनाजा नगरपालिका क्षेत्राधिकार में है तथा अप्रार्थी ने 90 ए का आवेदन पेश कर रखा है तथा दिनांक 26.12.2016 रसीद संख्या 89 द्वारा राशि 96000/–रूपये जमा करवा रखे है। पैरोकार सरकार की बहस एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा कृषि भूमि है, तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी फसल हुई है तथा पडत रही है। यह भी कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के भू–रूपान्तरण की पत्रावली नगरपालिका विराटनगर में पेश कर रखी है तथा मुताबिक आदेशिका नगरपालिका विराटनगर उक्त प्रकरण में आवेदक के स्वयं के खर्चे पर राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रारूप–10 में लोक सूचना प्रकाशन हेतु शुद्ध प्रारूप तैयार कर अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु नियत चल रही है। अतः प्रस्तुत प्रकरण न्यायहित में खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार) का वाद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं मुताबिक खसरा गिरदावरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायाालय में दिनांक 03.04.2018 को सुनाया गया।